



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012026-269425
CG-DL-E-19012026-269425

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2026/पौष 26, 1947

No. 219]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2026/PAUSHA 26, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2026

का.आ. 241(अ).— रेलवे अधिनियम - 1989 (2008 में संशोधित) की धारा 2 के उपखंड (7-ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य निष्पादित करें।

क्रमांक	सक्षम अधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	जिला राजस्व अधिकारी, अम्बाला	हरियाणा	अम्बाला छावनी से साहनेवाल के बीच चौथी लाइन एवं लुधियाना से जालंधर छावनी के बीच तीसरी लाइन (138.138 कि.मी.)

[फा. सं. 190-W/Land/UMB/LDH-JUC]

शैलेश कुमार मिश्रा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2026

S.O. 241(E).— In exercise of the power conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (Amended in 2008), the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the “**Competent Authority for Land Acquisition (CALA)**” in respect of Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Sr. No.	Competent Authority	State	Name of project
1	2	3	4
1	District Revenue Officer, Ambala	Haryana	Ambala Cantt. to Sahnewal 4th Line and Ludhiana to Jalandhar Cantt. 3rd Line (138.138 Km.)

[F. No. 190-W/Land/UMB/ LDH-JUC]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2026

का.आ. 242(अ).— रेलवे अधिनियम – 1989 (2008 में संशोधित) की धारा 20-एफ के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में आर्बीट्रेटर के रूप में कार्य निष्पादित करें।

क्रमांक	आर्बीट्रेटर	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	मंडल आयुक्त, अम्बाला	हरियाणा	अम्बाला छावनी से साहनेवाल के बीच चौथी लाइन एवं लुधियाना से जालंधर छावनी के बीच तीसरी लाइन (138.138 कि.मी.)

[फा. सं. 190-W/Land/UMB/LDH-JUC]

शैलेश कुमार मिश्रा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2026

S.O. 242(E).— In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railways Act, 1989 (Amended in 2008), the Central Government hereby authorizes the Officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the "**Arbitrator**" in respect of 'Railway Project' as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of this notification in the Official Gazette.

Sr. No.	Arbitrator	State	Name of project
1	2	3	4
1	Divisional Commissioner, Ambala	Haryana	Ambala Cantt. to Sahnewal 4th Line and Ludhiana to Jalandhar Cantt. 3rd Line (138.138 Km.)

[F. No. 190-W/Land/UMB/ LDH-JUC]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.